

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-08 / 2015

संस्थित दिनांक-06 / 01 / 2015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर

जिला बालाघाट म.प्र.

..... अभियोजन

विरुद्ध

कुलदीप पिता आशाराम कालसर्पे, उम्र 22 साल,

निवासी-कटंगी, थाना बैहर,

जिला बालाघाट म.प्र.

..... आरोपी

निर्णय

(आज दिनांक-06 / 01 / 2015 को घोषित)

1. आरोपी-कुलदीप कारसर्पे ने उस पर लगाए गए धारा-279, 337(दो काउंट में) भा.दं.वि., के आरोप को स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार किया है। आरोपी के द्वारा व्यक्त स्वीकारोक्ति स्वतंत्र एवम् ऐच्छिक प्रतीत होती है। अतः आरोपी-कुलदीप कालसर्पे को धारा-279, 337(दो काउंट में) भा.दं.वि., के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

2. आरोपी द्वारा किए गए अपराध के स्वरूप को देखते हुए, आरोपी को परीविक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है किन्तु आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोपी का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अतः आरोपी के प्रति नरम दृष्टिकोण अपनाया जाना उचित होगा। अतः

आरोपी—कुलदीप कारसर्पे को उक्त दोषसिद्धी हेतु धारा-279 भा.दं.वि. के आरोप में 1,000/—(एक हजार रूपए), धारा-337(दो काउंट में) भा.दं.वि. में 500—500/—(पांच—पांच सौ रूपए), कुल राशि—2,000/—(दो हजार रूपए) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदायगी में व्यतिक्रम की दशा में उक्त धाराओं में क्रमशः 30 (तीस), 30 (तीस), 30 (तीस) दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

3. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकप पंजीयन क्रमांक एम0पी0 50 जी 0981 मय दस्तावेजों के सुपुर्दनामा पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा को सुपुर्ददार के हित में उन्मोचित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर